बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस.बी-2, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पाटलीपुत्र, पटना-800 010

अधिसूचना संख्या:- 15 पटना, दिनांक:- 14.06.21

अधिसूचना

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के सेक्शन 17 एवं 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के सेक्शन 17 एवं 21 के तहत् पर्षद् मंडल की 110वीं बैठक कार्यावली संख्या 21 (अन्यान्य-4 एवं 5) में लिये गये निर्णय के आलोक में अधिसूचित किया जाता है कि:-

(i) बिहार राज्य अन्तर्गत नये टेक्सटाईल डाईंग इकाईयों को संचालन से पूर्व शून्य वहिस्राव निस्सारण (Zero Liquid Discharge) सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा;

(ii) बिहार राज्य स्थित पुराने (स्थापित/संचालित) टेक्सटाईल डाईंग इकाईयों को इस अधिसूचना निर्गत की तिथि से दो (2) वर्षो के अन्दर शून्य वहिस्राव निस्सारण (Zero Liquid Discharge) की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा इस संबंध में सविस्तार अनुपालन प्रतिवेदन ससमय पर्षद् कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा;

(iii) पर्षद् के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को संसूचित किया जाता है कि औधोगिक इकाईयों की स्थापना के क्रम में प्राप्त आवेदन के दौरान यह स्पष्ट हो ले कि ये इकाईया पुरानी है अथवा नयी। इस संबध में तथा इनके चारों ओर अवस्थित स्थायी आबादी, विद्यालय एवं अस्पताल आदि की पहचान गूगल (Google) के माध्यम से सुनिश्चित की जाय ताकि जन-शिकायत का निष्पादन स्पष्ट एवं सुगम हो सके। साथ ही प्राप्त शिकायत स्थल को यदि पर्षद् द्वारा निर्धारित माप-दण्ड के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में उक्त स्थल पर नये उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति भविष्य में नहीं दिया जायें।

ह0/-
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक- 930 पटना, दिनांक:- 14.06.21

प्रतिलिपि:-सभी पर्यावरण अभियंता/ पर्षद् विश्लेषक/सभी सहायक पर्यावरण अभियंता / सदस्य-सचिव कोषांग/ श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/6/21
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव